भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1748
सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

राष्ट्रीय रोजगार नीति

1748. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नीति को बनाने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इस नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था और नीति के आगतों के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों, राज्य सरकारों, व्यापार संघों, उद्योग परिसंघों, आईएलओ आदि के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

प्रस्तावित नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ, वृहद-आर्थिक नीतिगत मामले, क्षेत्रीय नीतिगत मामले, श्रम नीतिगत मामले, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मामले, कौशल विकास के मामले, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं सहित कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों का समाधान करना और रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए सुझावों को शामिल करना है।

*****